राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि., जयपुर
(राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि.,)
के
उपनियम

- **नाम पता एवं कार्यक्षेत्र :**

1. इस संघ का नाम राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि., (राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि.) होगा, जिसका संक्षिप्त नाम ''राजफैड'' होगा। इसका पंजीकृत किया हुआ पता भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, जिला–जयपुर होगा तथा कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य होगा।

2. इन उपविधियों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''अधिनियम'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 से है।

(ii) ''नियम'' से तात्पर्य राजस्थान को–ऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2003 से है।

(iii) ''रजिस्ट्रार'' से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के कार्य करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति से है तथा उसमें रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित हैं, जबकि वह रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों अथवा उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करें।

(iv) ''संघ'' से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि., (राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि., ''राजफैड'') जयपुर से है।

- **उद्देश्य :**

3. इस संघ के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(i) सहकारी समितियों द्वारा एकत्रित की हुई कृषि उपज की बिक्री का प्रबंध करना।

(ii) आवश्यकतानुसार स्वयं के लिये तथा सदस्य समितियों, अन्य राज्य की राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रस्तरीय संस्थाओं के लिये अथवा साझेदारी में कृषि उपज को क्रय करना, भंडारण करना एवं बेचना।

(iii) सदस्यों के तथा स्वयं के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिये यातायात के साधनों का प्रबंध करना।

(iv) सदस्यों की तथा स्वयं की कृषि उपज को रखने के लिये गोदाम किराये पर लेना तथा बनवाना।

(v) उपयुक्त स्थानों पर आगार निगम (वेयर हाऊस) स्थापित करना।

(vi) आवश्यकतानुसार बिक्री तथा बाजार संबंधी सूचनाओं को सदस्यों तथा गांवों तक पहुंचाने का प्रबंध करना।

(vii) सदस्यों की फसल का वर्गीकरण और प्रमाणीकरण करना तथा इसके लिये उपुयक्त स्थानों पर केन्द्र खोलना।

(viii) सदस्यों को उनके स्वयं के प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में सहायता देना एवं संघ के कच्चे माल को तैयार करने के लिये अपने निजी प्रोसेसिंग यूनिट्स (माल संवारने की इकाईयां) लगाना अथवा किराये पर लेना या सदस्य समितियों के साझे में इस प्रकार की इकाईयों को चलाना।

(ix) सदस्यों एवं स्वयं की कृषि उपज एवं उत्पादों को देश के अन्य भागों में बेचने अथवा विदेश में निर्यात करने का प्रबंध करना।

(x) सदस्यों को उनकी कृषि उपज एवं कृषि आदान का भंडारण एवं क्रय करने हेतु ऋण / अग्रिम उपलब्ध कराना।

(xi) कृषि उत्पादन हेतु उत्तम बीज, समस्त प्रकार के खाद, कृषि यंत्र, कीटनाशक औषधियां, पशुआहार, सीमेन्ट, लोहा व इस्पात आदि व कृषि पशुपालन हेतु तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उनके उत्पादकों तथा विक्रेताओं से थोक भाव पर अथवा एजेन्सियां आदि लेकर एवं निजी उत्पादन इकाईयों से तैयार करके सदस्यों को व जन सामान्य को उपलब्ध कराना।

(xii) राज्य में संघ के कारोबार को चलाने के लिये कार्यालय खोलना, बिक्री केन्द्र खोलना, एजेन्ट व सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करना आदि। राज्य के बाहर कारोबार चलाने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही रजिस्ट्रार की अनुमति के पश्चात् करना।

(xiii) राज्य की क्रय–विक्रय सहकारी समितियों एवं प्रोसेसिंग सहकारी समितियों का आपस में समन्वय स्थापित करना, आवश्यक परामर्श देना तथा उनका पथ प्रदर्शन करना।

(xiv) कृषि यंत्रों जैसे टैक्ट्रर, पम्पिंग सेट, बोरिंग मशीन आदि कृषि यंत्रों को रखना, किराये पर चलाना एवं उनको सुधारने के लिये स्थान–स्थान पर निजी एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से अथवा साझेदारी में वर्कशॉप स्थापित करना और उन्हें चलाना।

(xv) क्रय–विक्रय के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना एवं प्रदर्शनियां लगाना।

(xvi) आवश्यकतानुसार विदेशों से आयात की व्यवस्था करना।

(xvii) राजस्थान राज्य सरकार अथवा अन्य राष्ट्रीय एवं राजकीय उपक्रमों तथा राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के एजेन्ट के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप से खाद्यान्न/कृषि उपज को क्रय करना तथा उन्हें सरकार या अन्य राष्ट्रीय / राजकीय उपक्रमों तथा सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

(xviii) आवश्यकतानुसार सदस्य समितियों के द्वारा राज्य सरकार से अथवा सहकारी / राष्ट्रीयकृत बैंकों या अन्य किसी ऐसी एजेन्सी से लिये गये ऋण को लिये जाने पर निर्धारित शर्तों पर गारंटी देना।

(xix) संघ अथवा सदस्यों के लिये बीमे की व्यवस्था करना, एजेन्सियां लेना।

(xx) अपने सदस्यों के कार्य में सहायता देना, उनका पथ प्रदर्शन करना और निरीक्षण करना।

(xxi) अपनी सदस्यों के लिये उनकी मांग एवं आवश्यकतानुसार वैतनिक कार्यकताओं की भर्ती, प्रशिक्षण तथा नियुक्ति करना और संघ के अधीन उनका कैडर तैयार करना।

(xxii) अन्य ऐसा कोई कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

(xxiii) अपने कारोबार के संचालन हेतु आवश्यक भवन, संयंत्र, मशीनें और अन्य सम्पत्ति क्रय करना, लगाना और / या किराये पर देना।

(xxiv) संघ के व्यवसाय, उत्पादन हेतु चल या अचल सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना या प्राप्त करना या लीज पर लेना तथा जब वे संघ के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाये तो उनका निष्पादन करना / बेचना।

(xxv) गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) सुविधाओं की स्थापना तथा वस्तुओं के लिये आवश्यक गुणों के मापदंडों को प्रस्तावित करना / क्रियान्वित करना।

(xxvi) नियम 68 (6) के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में जन सामान्य के कल्याण हेतु कार्य करना एवं इस हेतु अंशदान करना।

• सदस्यता :

4. निम्नांकित संघ के सदस्य होंगे :

(i) राज्य सरकार।

(ii) राष्ट्रीय / राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाऐं, जो राजफैड के व्यवसाय हेतु सहयोग प्रदान करती हैं, जबकि उनके द्वारा संघ के अंशधारण किये गए हों या संघ द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था अथवा सहायता / सहयोग प्राप्त किया गया हो।

(iii) राजस्थान की सहकारी चीनी मिलें, स्पिनिंग मिलें, जिनिंग फैक्ट्री आदि।

(iv) राजस्थान की क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ।

(v) राजस्थान की प्रोसेसिंग सहकारी समितियाँ।

(vi) नाम मात्र के सदस्य, जो कि संघ के कार्यक्षेत्र में कृषि उपज से संबंधित व्यापार करते हों। ऐसे सदस्यों को संघ की किसी भी बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(vii) कोई भी उपभोक्ता, कृषि साख या अन्य सहकारी संस्था, जो अपने सदस्यों के कृषि उत्पादन का एकत्रण (पूलिंग) या लेनदेन करती हों और उसे सम्पूर्ण रूप में उनकी ओर से संघ को विक्रय प्रदाय करती हो तथा संघ द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय / वितरण करती हो।

(viii) मार्केटिंग बोर्ड एवं कृषि उपज मंडियां।

5. सदस्यता की स्वीकृति संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी।

6. संघ की संदस्यता चाहने वाले प्रार्थी को सदस्य बनाने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि वे निर्धारित प्रपत्र पर सदस्य बनने के लिये प्रार्थना पत्र दें और कम से कम निम्नानुसार संघ के हिस्से क्रय करें, तथा प्रवेश शुल्क 100/– रु. जमा करावें।

(i)	राष्ट्रीय / राज्यस्तरीय सहकारी संस्थायें	10 हिस्से
(ii)	राजस्थान की सहकारी चीनी मिलें, स्पिनिंग मिलें आदि	10 हिस्से
(iii)	जिनिंग फैक्ट्रियां	5 हिस्से
(iv)	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, प्रोसेसिंग सह. समितियां एवं अन्य	1 हिस्सा

(v) नाममात्र के सदस्यों को संघ के हिस्से नहीं दिये जावेंगे। उन्हें केवल 100/–रु. प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जावेगा और यह संघ की सम्पत्ति होगी।

7. संचालक मण्डल को अधिकार होगा कि किसी प्रार्थी को संघ में संघ के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सदस्यता प्रदान करें या न करें और उसके मांगे हुये हिस्सों में से जितने उपयुक्त समझें, दें।

8. प्रत्येक सहकारी समिति को सदस्य बनने से पूर्व एक ऐसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह इस संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उन संशोधनों, परिवर्तनों, परिवर्धनों का, जो उसकी सदस्यता के समय में नियमानुसार होंगे, पालन करेगा।

9. (i) किसी सहकारी समिति को उस समय तक, जब तक कि उसने हिस्सों की रकम तथा प्रवेश शुल्क जमा न करा दिया हो और संचालक मण्डल द्वारा सदस्यता स्वीकार न कर ली गई हो, सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(ii) संघ के किसी सदस्य द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नही किया जा सकेगा, जब तक कि उसने संस्था की सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, यदि कोई हों, के अनुसार आवश्यक पात्रता अर्जित नही कर ली हो।

10. सदस्य बनने की तिथि से दो वर्ष पश्चात्, कोई भी सदस्य संघ के ऋण, यदि कोई हो, के चुकतारे, इकरारों की पूर्ति तथा हिसाब साफ करने के बाद, दो माह का नोटिस देकर, संचालक मण्डल की स्वीकृति से ही, संघ की सदस्यता से पृथक हो सकता है। नोटिस की तारीख उस दिन से मानी जावेगी, जिस दिन नोटिस संघ को प्राप्त हो।

11. कोई भी सदस्य अधिनियम मे निर्धारित प्रक्रियानुसार संघ की सदस्यता से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान की पूर्व स्वीकृति से पृथक किया जा सकता है :–

(i) यदि वह संघ के ऋण / बकाया राशि की अदायगी में लगातार चूक करें अथवा कोई ऐसा काम करें, जिससे संघ की साख को बट्टा लगे।

(ii) यदि वह संघ के उपनियमों तथा अन्य नियमों के, जो संचालक मण्डल समय–समय पर बनावें, विरुद्ध कार्य करें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तथा संघ को किसी प्रकार का धोखा दें।

(iii) यदि कोई सहकारी समिति अपने कारोबार को लगातार ठीक तौर से न चलावें।

12. वह सदस्य संघ से पृथक समझा जावेगा, यदि –

(i) सदस्य सहकारी समिति कानून के अनुसार भंग हो गई हो।

(ii) कोई सदस्य एक हिस्से का भी धारक न रहा हो।

(iii) उसके खरीदे किये हुये हिस्से अपहरित (जब्त) हो गये हों।

• उत्तरदायित्व :

13. प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व संघ के ऋण की अदायगी के लिये उसके क्रय किये हिस्से या हिस्सों के साधारण मूल्य के पांच गुणा तक सीमित रहेगा।

• पूंजी :

14. संघ की पूंजी निम्न प्रकार से बनेगी :–

(i) प्रवेश शुल्क

(ii) हिस्से

(iii) धरोहर

(iv) ऋण

(v) सुरक्षित व अन्य कोष

(vi) अनुदान

(vii) लाभ या अन्य प्रकार

15. संघ की अधिकृत पूंजी 35 करोड़ रु. होगी, जो कि एक हजार रु. प्रति हिस्से के हिसाब से 3,50,000 हिस्सों में विभक्त रहेगी।

16. राज्य सरकार को आवंटित किये हुये हिस्से रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये हुये नियमों एवं शर्तों के अनुसार लौटाये जावेंगे।

17. कोई सदस्य संचालक मण्डल की स्वीकृति से अपने क्रय किये हुये पूरे या कुछ हिस्से सदस्य बनने के दो वर्ष बाद हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर सकता है।

18. उप नियम 11 और 12 के अनुसार सदस्यता समाप्त होने पर हिस्सों की रकम, उस रकम को काट लेने के बाद, जो उस सदस्य द्वारा देय है, सहकारी कानून व इन उपनियमों के अनुसार सदस्यता से पृथक होने के 2 वर्ष पश्चात लौटा दी जावेगी।

19. आवेदित तथा आवंटित अंशों के लिये अंश प्रमाण–पत्र, जिस पर स्पष्टतः अंशों की संख्या व क्रमांक लिखे हों, जारी किये जावेंगे। साधारण सदस्यों को अंश प्रमाण–पत्र गुम होने की स्थिति में दो रुपये प्रति अंश प्रमाण–पत्र की दर से भुगतान करने के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संचालक मण्डल के अनुमोदन से अंश प्रमाण–पत्रों की डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी की जावेगी।

20. संघ द्वारा ऋण पत्र अमानत एवं ऋण के रूप में प्राप्त राशि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त अंश पूंजी तथा रक्षित निधि एवं भवन निधि के योग में से संकलित हानि कम करने के पश्चात शेष राशि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी।

21. समय–समय पर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संघ को यह अधिकार होगा कि साधारण सदस्यों से उसके द्वारा संघ के साथ किये गये व्यवसाय के अनुपात में पूंजी और / अथवा ऋण पत्रों में अंशदान करने हेतु अनुरोध करें।

- **ऋण :**

22. संचालक मण्डल का कारोबार चलाने के लिये ऋण व धरोहर के रूप में उस सीमा तक पूंजी इकट्ठी कर सकता है, जो साधारण सभा ने निर्धारित की हो और वह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के विपरीत न हो।

- **पूंजी का नियोजन :**

23. संघ की पूंजी उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के काम में लाई जावेगी। यदि कोई अवशिष्ट पूंजी रहती है, जिसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है तो वह सहकारी कानून तथा उसके अंतर्गत बनाये हुये नियमों के अनुसार जमा कराई जायेगी।

- **सामान्य बैठक :**

24. संघ की सामान्य बैठक को, जिसमें सम्बद्ध सहकारी समितियां और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल हैं, सर्वाधिकार प्राप्त होंगे। सामान्य बैठक जब संचालक मण्डल आवश्यकता समझें, बुलायेंगा, किन्तु वर्ष में एक सामान्य बैठक अवश्य होगी, जो वार्षिक बैठक कहलावेगी और जो संघ के वार्षिक हिसाब बंद करने के तीन माह के भीतर अवश्य बुलायी जावेगी।

25.

(i) साधारण सभा की सूचना जिसमें सभा का स्थान, तारीख समय और कार्यक्रम आदि का उल्लेख होगा, सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले भेजी जावेगी। यदि संभव हो सके, तो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जावेगी।

(ii) संघ की सदस्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष साधारण सभा में भाग लेने एवं प्रतिनिधित्व करने एवं मत देने के लिये अधिकृत होंगे। अध्यक्ष

की अनुपस्थिति में सदस्य सहकारी संस्था के उपाध्यक्ष को साधारण सभा में भाग लेने, प्रतिनिधित्व करने एवं मत देने का अधिकार होगा। यदि उनके प्रतिनिधित्व वाली समिति तीन माह की अवधि से अधिक की बकाया के लिये दोषी हो तो उन्हें साधारण सभा में भाग लेने, प्रतिनिधित्व करने एवं मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) किसी सहकारी संस्था का प्रतिनिधि साधारण सभाओं में भाग लेने के योग्य नहीं होगा यदि वह उस सहकारी संस्था का अध्यक्ष नहीं रहे या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नहीं रहे।

प्रत्येक प्रतिनिधि दो वर्ष के लिये अथवा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये पद धारण करेगा।

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के साथ–साथ संघ की वार्षिक रिपोर्ट एवं आय–व्यय परीक्षक द्वारा निर्धारित ऑडिट बैलेन्स शीट तथा अधिनियम में वर्णित सूचनायें भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

26. साधारण सभा की गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग अथवा 50 सदस्य, इसमें से जो भी कम हो। कोरम पूरा न होने की अवस्था में सभा स्थगित कर दी जावेगी। स्थगित की हुई सभा जब बुलायी जावेगी तो उसके लिये उपरोक्त कोरम का आधा कोरम पर्याप्त समझा जावेगा, लेकिन स्थगित सभा में उन्हीं विषयों पर विचार किया जा सकेगा, जो पहले कार्यक्रम में सम्मिलित किये जा चुके हों।

27. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। समस्त विषयों का निर्णय बहुमत से, यदि अधिनियम अथवा नियमों में इसके विपरीत न हो, किया जावेगा। बराबर मत होने की अवस्था में अध्यक्ष को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

28. वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(i) आगामी वर्ष के लिये संचालक मण्डल द्वारा तैयार किये गये संघ के कार्यकलापों, कार्यक्रमों का अनुमोदन।

(ii) ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।

(iii) शुद्ध लाभों का निवर्तन।

(iv) ऐसे समस्त विषयों पर जो कि संघ या उससे संबंधित समिति को आर्थिक एवं कारोबार की दशा पर असर डालते है, विचार करना और उसके बारे में निर्णय करना।

(v) आगामी वर्ष के लिये संघ की अधिकतम ऋण सीमा निश्चित करना।

(vi) उप विधियों में संशोधन।

(vii) अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।

29. साधारण सभा की विशेष बैठक निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के होने पर प्रबंध संचालक द्वारा एक माह के अन्दर अवश्य बुलायी जावेगी :–

(i) संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर।

(ii) कुल सदस्यों के 1/5 की लिखित मांग पर।

(iii) रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग अथवा उनके अधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश पर।

(iv) जहां अधिनियम एवं नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, समस्त विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।

(v) मतदान बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(vi) संघ की सामान्य सभा में उपनियमों के संशोधन उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करने पर होंगे।

• संचालक मण्डल :

30. (1)(क) संघ के प्रबंध का भार संचालक मण्डल में निहित होगा, जिसका गठन निम्न प्रकार से होगा :–

(i) क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि — 10 (दस)
(उक्त में से एक–एक पद क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित होगा)

(ii) अन्य प्रकार की सदस्य सहकारी समितियों/संस्था के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि — 1 (एक)

(उक्त पद महिलाओं के लिये आरक्षित होगा)

(iii)	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का प्रतिनिधि	1 (एक)
(iv)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	1 (एक)
(v)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	1 (एक)
(vi)	प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि., जयपुर– पदेन संचालक	1(एक)

(1)(ख) (i) उक्त आरक्षित वर्गो में से यदि किसी वर्ग विशेष का कोई प्रतिनिधि निर्वाचित होकर नही आता है तो संबंधित वर्ग के लिये एक स्थान रिक्त रखा जायेगा।

(ii) संचालक मण्डल में उपरोक्त आरक्षित वर्गो में से किसी वर्ग विशेष के लिये आरक्षित स्थान में यदि कोई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो एसी रिक्ति की पूर्ति संचालक मण्डल द्वारा संबंधित वर्ग के सदस्यों में से सहवरण द्वारा की जा सकेगी किन्तु शर्त यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को संचालक मण्डल में निर्वाचित होने की पात्रता नही रखता हो अथवा जो संचालक मण्डल के विगत निर्वाचन में चूनाव हार गया हों।

(2) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। संचालक मण्डल के सदस्य निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पांच वर्ष तक संचालक का पद धारण करते रहेंगे।

(3) संचालक मण्डल के चुनाव की पद्धति, अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार होंगे।

(4) किसी सदस्य समिति का प्रतिनिधि संचालक मण्डल में चुने जाने अथवा संचालक मण्डल में प्रतिनिधित्व जारी रखने योग्य नहीं रहेगा, यदि वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, संघ के बकाया ऋण की अदायगी अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत आदेश दिये जाने की तिथि से 3 माह की अवधि में, करने में असमर्थ रही हो, अथवा हिसाब किताब का निपटारा नहीं कर पाई हो। कोई भी सदस्य किसी भी सम्बद्ध समिति का प्रतिनिधि न रहे अथवा संचालक मण्डल की लगातार 3 बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे, तो संचालक मण्डल के दूसरे सदस्य उसकी जगह खाली होने की घोषणा कर देंगे

और उसकी जगह किसी पात्रताधारक समिति के प्रतिनिधि को अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक, ऐसे रिक्त स्थान पर सहवरित कर देंगे। किसी भी हालत में यह स्थान दो महीने से अधिक खाली नहीं रखा जावेगा। यदि मनोनीत सदस्य उक्त प्रकार से अनुपस्थित रहते हैं तो रजिस्ट्रार को दूसरा व्यक्ति मनोनीत करने के लिये प्रार्थना पत्र भेजा जावेगा। रजिस्ट्रार को यह भी अधिकार होगा कि उनके द्वारा मनोनीत किसी अथवा सभी व्यक्तियों को किसी भी समय अपदस्थ कर दें और उनकी जगह इन उप विधियों के अनुसार नये व्यक्तियों को मनोनीत कर दें।

31. कोई भी सदस्य संचालक मण्डल में काम करने के योग्य नहीं रह सकेगा, यदि–

(i) वह पागल हो जावे।

(ii) वह किसी राजकीय न्यायालय से अनैतिक अपराध में दंड पा चुका हो।

(iii) वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने दिवालिया होने का प्रार्थना पत्र दे दिया हो।

(iv) वह कोई ऐसा काम करें जो कि संघ के सिद्धान्तों के विरुद्ध हो।

(v) उसके विरुद्ध संघ या किसी संबंधित समिति के ऋण की वसूली के लिये उसकी जायदाद की कुर्की या नीलामी की कार्यवाही की गई हो।

(vi) यदि वह ऐसी अयोग्यता धारण कर लेता है जो कि अधिनियम, नियम या इन उपविधियों में अयोग्यता मानी गई है।

(vii) वह संघ के अधीन कोई ऐसा कोई पद स्वीकार करें, जो ऑफिस ऑफ प्रोफिट (लाभ का पद) हो।

32. संचालक मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, लेकिन तीन माह में एक बार अवश्य होगी। साधारणतयाः सभा का नोटिस एक सप्ताह पूर्व दिया जावेगा व कोरम आठ सदस्यों का होगा। कोरम (गणपूर्ति) पूर्ण न होने की दशा में बैठक स्थगित कर दी जावेगी और इस प्रकार स्थगित की हुई बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय और उसी स्थान पर होगी तथा ऐसी बैठक के लिये कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी य परन्तु इस बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ नहीं लिया जा सकेगा और इस प्रकार की बैठक

की सूचना संचालक मण्डल के समस्त सदस्यों को दी जावेगी। समस्त विषयों का बहुमत से निर्णय किया जावेगा। मत बराबर होने की अवस्था में अध्यक्ष को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई है तो संचालक मण्डल की ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।

33. समस्त विषयों के निर्णय जो साधारण सभा, संचालक मण्डल अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठकों में लिये जायेंगे, रजिस्टर कार्यवाही में लिखे जावेंगे जिस पर सही होने के प्रमाण स्वरूप संघ के प्रबंध संचालक तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, जिसके लिये प्रबंध संचालक संघ के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

34. **संचालक मण्डल के अधिकार एवं दायित्व** :– संघ का सम्पूर्ण प्रशासन, प्रबंध एवं नियंत्रण, संचालक मण्डल में निहित होगा। संचालक मण्डल को अधिनियम, नियम या ऐसे अधिनियम संशोधन, जो बाद में उनके स्थान पर प्रभावशील हों और ऐसे नियम जो राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम, नियम और उपनियमों के अन्तर्गत समय–समय पर जारी हों या कोई भी उपनियम, जो संघ द्वारा उपयुक्त रीति से बनाये जाएँ, के अन्तर्गत रहते हुए, संघ के समुचित प्रबंध और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये, जिनके लिये संघ का गठन किया गया है एवं उन हितों को प्राप्त करने तथा आगे बढ़ाने के लिये ऐसे सभी समझौते, व्यवस्था की कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा, जिनमें निम्नांकित सम्मिलित हैः–

(i) संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन उपविधियों के अनुसार पूंजी एकत्रित करना तथा ऐसी शर्ते निर्धारित करना जिन पर कि पूंजी इकट्ठी की जा सके।

(ii) सदस्यों को माल की जमानत पर अग्रिम (एडवान्स) स्वीकृत करने के नियम बनाना।

(iii) कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत बजट की स्वीकृति करना।

(iv) समय–समय पर कार्यालय एवं क्षेत्र के स्टॉफ स्ट्रेन्थ को संघ के कार्य एवं वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुये निर्धारित कर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, की पूर्व अनुमति लेकर लागू करना।

(v) संघ में नियुक्त स्टॉफ (प्रतिनियुक्ति में नियुक्त स्टॉफ के अतिरिक्त) के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अधीन रहते हुये निर्धारण करना।

(vi) अपनी टिप्पणी सहित सामान्य बैठक के समवार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक नक्शे प्रस्तुत करना।

(vii) क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के देख–रेख, निरीक्षण व आवश्यक परामर्श देने का (इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाये हुये नियमों के अनुसार) प्रबंध करना।

(viii) आवश्यकतानुसार संघ के कार्य के लिये अवैतनिक पदाधिकारी एवं स्थायी व अस्थायी तौर पर वैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति, वेतन, त्याग–पत्र, सेवामुक्ति, अवकाश, अनुशासनात्मक कार्यवाही, यात्रा, चिकित्सा, मानदेय आदि से संबंधित नियम बनाना एवं उन्हें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की पूर्व स्वीकृति से लागू करवाना।

संघ के कार्य एवं वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी व उसके समकक्ष वेतनमान वाले व इसके उच्च वर्ग के अधिकारियों को नियुक्ति देना, पदोन्नति देना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर सेवा समाप्ति के दंड से दंडित करना।

(ix) सामान्य बैठकों का आयोजन करना तथा उन्हें प्रतिवर्ष अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय पर बुलाना।

(x) संघ के कारोबार और प्रबंध के बारे में नियम बनाना या उसमें संशोधन करना।

(xi) संघ की चल और अचल सम्पत्ति की देखरेख करना और उसका प्रबंध करना तथा हर ऐसा कार्य करना जो इसके उद्देश्य के लिये आवश्यक हो।

(xii) आवश्यकतानुसार अपने में से उपसमितियां बनाना। संघ के विशेष कार्य या विभाग की देखरेख के लिये जो उपसमिति या उप समितियां बनाई जावेंगी उनमें सदस्य सचिव प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक द्वारा मनोनीत संबंधित विभाग का प्रधान व्यवस्थापक होगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/2 होगा।

(xiii) (क) अपने सदस्यों में से सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत रहते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव करना, परन्तु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों में से ही चूने जावेंगे।

(ख) संचालक मण्डल के चूनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना, किन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक होगा।

(xiv) संघ के कर्मचारियों के लिये प्रोविडेन्ट फंड के बारे में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान की स्वीकृति से नियम बनाना या उनमें संशोधन करना।

(xv) संघ के माल की जांच स्टॉक रजिस्ट्रर से कम से कम वर्ष में दो बार करना अथवा किसी अधिकृत उपसमिति या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाना।

(xvi) संघ का प्रतिनिधित्व करने हेतु अन्य सहकारी संस्थाओं में अपने में से प्रतिनिधि भेजना, परन्तु एक बार नियुक्त किये गये प्रतिनिधियों को उक्त संचालक मण्डल द्वारा अपने कार्यकाल में बदला नहीं जा सकेगा बशर्ते कि वह प्रतिनिधि किसी प्रकार से निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं हो गया हो।

(xvii) विश्वस्त क्रेताओं और व्यापारियों की सूची तैयार करना।

(xviii) उपसमितियों के सदस्यों के यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता एवं सिटिंग फीस तय करना, जो कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान के अनुमोदन के पश्चात् लागू होगी।

(xix) आवश्यकतानुसार क्रय–विक्रय के लिये उन व्यापार केन्द्रों पर जहां क्रय–विक्रय सहकारी समितियां नहीं हैं, संघ की शाखा (ब्रांच) खोलना।

(xx) कृषि तथा संबंधित उपज का क्रय–विक्रय करने, बाजार के लिये माल तैयार करने, वर्गीकरण करने, सुरक्षित रखने व बिक्री करने का प्रबंध करना।

(xxi) ऐसे समस्त कार्य करना, जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा प्रशासन के लिये हितकर एवं आवश्यक हो।

(xxii) अनुशासनात्मक कार्यवाही के उन मामलों में जहां प्रबंध निदेशक द्वारा कोई सजा प्रदान की गई हो, के विरुद्ध अपील सुनना एवं निर्णय लेना।

(xxiii) संचालक मण्डल द्वारा, कभी संघ से संबंधित सम्पत्ति आदि, यदि संघ के व्यवसाय हेतु किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने के लिये प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है, तो उन पर किसी प्रकार का भार कायम करने का अधिकार संचालक मण्डल को रहेगा। कार्यशील पूंजी के लिये अल्पावधि ऋण/ अग्रिम प्राप्त करने को छोड़कर उपरोक्तानुसार अन्य प्रकार की प्राप्तियों के लिये शर्तें आदि का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा।

(xxiv) संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी किसी भी पेटेन्ट खोज या अनुसंधान का पेटेन्ट राईट, ट्रेड राईट, कॉपी राईट, गोपनीय प्रक्रियाओं के कॉपीराईट या तकनीकी मदद / सहयोग या तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) को प्राप्त करने, क्रय करने अथवा लाईसेंस आदि के माध्यम से या अन्य रीति से प्राप्त करने हेतु आवेदन करना।

(xxv) ट्रेड मार्क / ब्राण्डनेम के उपयोग हेतु फीस का निर्धारण करना।

(xxvi) सदस्यों द्वारा प्रदाय की गई वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति निर्धारित करना।

(xxvii) संचालक मण्डल एवं प्रबंध संचालक की अनुमति से प्रयुक्त किये जाने के लिये संघ की सामान्य मुद्रा के बारे में निर्णय लेना।

(xxviii) उप नियमों के अन्तर्गत गठित परामर्शदात्री समिति द्वारा दी गई सलाह पर विचार कर उपयुक्त निर्णय लेना।

(xxix) उपनियमों के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों पर विचार करना, उपयुक्त निर्णय लेना।

(xxx) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सदस्यों से जमानतें स्वीकार करने, ऋण प्राप्त करने और निर्गमित करने की सीमा निर्धारित करना।

35. संचालक मण्डल के सदस्यों (अध्यक्ष सहित) को यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता, सिटिंग फीस एवं अन्य सुविधायें जो समय–समय पर सामान्य बैठक द्वारा निश्चित की जावे, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान के अनुमोदन पश्चात, प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवश्यक मामलों का अविलम्ब निपटारा करने के लिये प्रबंध संचालक, संचालक मण्डल के सदस्यों के पास ऐसे मामले डाक द्वारा अथवा अन्य तरीकों से परिचालित कर, उनकी स्वीकृति ले सकता है और यदि सभी संचालक मण्डल के सदस्य स्वीकृति देने में एकमत हो तो उसका यही प्रभाव होगा मानों वह निर्णय संचालक मण्डल द्वारा मीटिंग में लिया गया हो, परन्तु यदि इस मामले में सदस्यों का मत एक न हो, तो वह मामला अन्तिम निर्णय के लिये संचालक मण्डल की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

36. संचालक मण्डल को समय–समय पर अपने लिखित प्रस्ताव द्वारा कार्यकारिणी समिति तथा उप समितियों को अपनी कोई या सर्वशक्ति एवं उत्तरदायित्व सौंपने एवं पुनः ग्रहण करने का अधिकार होगा।

• कार्यकारिणी समिति :

37. संघ की संचालक मण्डल की बैठकों के मध्य संचालक मण्डल में निहित शक्तियों का निर्वहन संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रतीक्षा में, कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावेगा। कार्यकारिणी समिति में संघ के अध्यक्ष व प्रबंध संचालक व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि एवं संचालक मण्डल द्वारा अपने में से मनोनीत दो निर्वाचित सदस्य होंगे। कार्यकारिणी का कोरम तीन सदस्यों का होगा।

38. कार्यकारिणी समिति के सदस्य उस अवधि तक, जब तक वे संचालक मण्डल के सदस्य रहें, अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारी नियुक्त न हों और कार्यभार ग्रहण न करें, पदासीन रहेंगे। कार्यकारिणी का निर्वाचित सदस्य,

यदि उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें, तो स्वतः अपदस्थ समझा जावेगा। कार्यकारिणी समिति में से किसी भी कारण से हुये रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी।

कार्यकारिणी की बैठकें आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, किन्तु कम से कम माह में एक बैठक अवश्य होगी।

39. अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं दोनों की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी का कोई उपस्थित सदस्य, जिसे उपस्थित सदस्य इस पद के लिये चुने, कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगा। गणपूर्ति तीन सदस्यों की होगी।

कार्यकारिणी का कोई निर्णय जब तक वह कम से कम तीन सदस्यों द्वारा अनुमोदित न हो, वैद्य नहीं होगा।

40. उन शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों सहित जो संचालक मण्डल, कार्यकारिणी समिति को सौंपे, संचालक मण्डल के सामान्य निर्देश के अधीन, जो वह समय–समय पर जारी करें, कार्यकारिणी की शक्ति एवं इसके कर्त्तव्य निम्नांकित होंगे :–

(i) संचालक मण्डल के सामान्य निर्देश के अधीन, हिस्सों के नियम के अधीन, हस्तान्तरण की स्वीकृति देना।

(ii) संघ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजट तैयार करना और उसे संचालक मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(iii) संचालक मण्डल की बैठकें बुलाना।

(iv) संघ की बकाया के मामलों की जांच करना तथा उनकी वसूली की उपयुक्त कार्यवाही करना।

(v) संघ के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम नियत करना।

(vi) समय–समय पर स्टॉक व गोदामों में रखे हुए माल की जांच करना या कराना तथा इस विषय में अपनी टिप्पणी से संचालक मण्डल को आगामी मीटिंग में अवगत कराना।

(vii) संचालक मण्डल के निर्देशों एवं आदेशों को कार्यान्वित करना तथा वे समस्त कार्य करना, जो संघ के लिये आवश्यक हों तथा जो केवल संचालक मण्डल के लिये ही उपविधियों में सुरक्षित न करा दिये गये हों अथवा जो स्पष्टतः अध्यक्ष या प्रबंध संचालक को इन उप विधियों एवं लिखित प्रस्ताव द्वारा न सौंपे गये हो।

(viii) संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रबंध संचालक द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि करना।

41. आवश्यक मामलों का अविलम्ब निपटारा करने के लिये प्रबंध संचालक कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पास ऐसे मामले डाक द्वारा अथवा अन्य तरीकों से परिचालित कर, उनकी स्वीकृति ले सकता है और यदि कार्यकारिणी के सदस्य स्वीकृति देने में एक मत हो, तो उसका यही प्रस्ताव होगा मानों वह कार्यकारिणी द्वारा मीटिंग में लिया गया हो, परन्तु यदि इस मामले में सदस्यों का मत एक न हो, तो वह मामला अन्तिम निर्णय के लिये कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

42. कार्यकारिणी समिति लिखित कारणों से अपनी कोई शक्ति अथवा शक्तियां, अध्यक्ष को अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विशेष काल के लिये उपाध्यक्ष को इस शर्त के अधीन कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग संघ के प्रबंध संचालक के साथ करेगा, सौंप सकती है और ऐसी शक्तियां किसी भी समय पुनः ग्रहण कर सकती हैं।

- **अध्यक्ष :**

43. अध्यक्ष संघ की समस्त सभाओं का सभापतित्व करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य जिसको वे सभापति के लिये चुने अध्यक्ष का कार्य करेगा।

- **उपाध्यक्ष :**

44. अध्यक्ष को यदि अपने मुख्य स्थान से अनुपस्थित होने या अन्य किसी कारण से उपस्थित रहना संभव नहीं है तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करेगा।

• प्रबंध संचालक :

45. संघ में एक प्रबंध संचालक होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी राज्य सरकार द्वारा ही की जावेगी।

46. प्रबंध संचालक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो संघ में नियुक्त समस्त वैतनिक कर्मचारियों को नियंत्रण में रखते हुये संघ के कारोबार को, संघ की सामान्य सभा, संचालक मण्डल, कार्यकारिणी समिति तथा सहकारी विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सुचारू रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी होगा। प्रबंध संचालक, संचालक मण्डल का सदस्य सचिव होगा। संचालक मण्डल की स्वीकृति से एवं पंजीयक से पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात प्रबंध संचालक संघ के लिये भूमि–भवन या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय कर सकेगा, लीज पर ले सकेगा अथवा अधिग्रहण कर सकेगा।

47. प्रबंध संचालक के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

(i) संघ की साधारण सभा, संचालक मण्डल और कार्यकारिणी की बैठक, इन उपनियमों के अनुसार बुलाना और उनमें उपस्थित रहना।

(ii) समस्त प्रकार की बैठकों की कार्यवाही लिखना और उसके सही होने के प्रतीक, उस बैठक के अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।

(iii) संघ की सम्पूर्ण सम्पत्तियां उसके अधिरक्षण में रहेंगी।

(iv) प्रबंध संचालक को संघ की ओर से समस्त वाद चलाने एवं वाद में प्रतिरक्षण करने तथा उसमें निर्णय कराने का अधिकार होगा। संघ के पक्ष में सभी अनुबंध, समझौते एवं उस पर वाद उसी के नाम से होंगे।

(v) ऐसे निर्देशों और सीमाओं के अधीन जो संचालक मण्डल अथवा कार्यकारिणी निश्चित करें, संघ के कार्य के लिये दस्तावेज आदि तैयार करना और उन पर संघ की ओर से हस्ताक्षर आदि करना।

(vi) संचालक मण्डल एवं कार्यकारिणी समिति के निर्देशों के अधीन संघ का कार्य करना। ऐसे रजिस्टर एवं हिसाब की किताबें रखना जैसाकि अधिनियम उसके अधीन बनाये नियमों इन उपनियमों और संघ के कार्य के लिये आवश्यक हों।

(vii) उसे संघ की ओर से तथा उसके लिये सभी प्रकार के बैंक व्यवहार करने, उन पर हस्ताक्षर करने, पृष्ठांकन करने और विनिमय करने का तथा प्राप्ति की रसीदों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। संचालक मण्डल की स्वीकृति से वह यह अधिकार अन्य अधीनस्थ अधिकारी को दे सकेगा।

(viii) संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय करना।

(ix) संघ की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना और सदस्यों को समय पर आवश्यक सूचना देना।

(x) प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में पिछले वर्ष तक का आय–व्यय, हानि–लाभ और लेन–देन के विवरण पत्र तैयार करना और कार्यकारिणी समिति के सामने उपस्थित करना।

(xi) अन्य ऐसे कार्य जिनका भार संचालक मण्डल, कार्यकारिणी समिति सौंपे तथा बैंक के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन में आवश्यक हो, करना।

(xii) संघ में क्रय–विक्रय की वस्तुओं की रक्षा एवं उनकी आवश्यकतानुसार गोदाम में सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था करवाना।

(xiii) संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार क्रय–विक्रय का कार्य करवाने की व्यवस्था करना।

(xiv) संघ द्वारा बेचे हुए माल की कीमत वसूल करने की आवश्यक व्यवस्था करना।

(xv) समय–समय पर रोकड़ तथा अन्य सिक्यूरिटीज की जांच करना।

(xvi) संचालक मण्डल द्वारा विभिन्न संदर्भ में स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्त पदों पर संचालक मण्डल एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज., जयपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निम्नलिखित कार्य करना :–

(क) नियुक्ति करना/ नियुक्ति करने हेतु अधीनस्थ अधिकारीगणों को अधिकृत करना।

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही के नियम बनाकर संचालक मण्डल से स्वीकृत कराना एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज., जयपुर से अनुमोदित करवाना एवं स्वीकृत नियमों के अनुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, अधीनस्थ अधिकारी को अनुशासनिक अधिकार प्रदत्त करना।

(ग) आवश्यकतानुसार संघ के कार्यों के लिये अनुबंध पर व्यक्तियों को रखना।

(xvii) संघ में स्वीकृत पदों एवं वेतनमान में रिक्त पदों की (सहायक लेखाधिकारी एवं उसके समकक्ष वेतनमान वाले तथा उसमें उच्च पदों को छोड़कर) नियमानुसार नियुक्त करना।

(xviii) संघ में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संघ के कार्यक्षेत्र में कहीं भी स्थानान्तरण करना परन्तु प्रतिनियुक्ति पर आये राजपत्रित अधिकारी का स्थानान्तरण संचालक मण्डल की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा। समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं उनके कार्यों का निरीक्षण करना एवं करवाना।

(xix) संघ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर, संघ के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं लघु शास्ती से, जिसमें निलम्बन करना भी सम्मिलित है, दंडित करना।

(xx) सहायक लेखाधिकारी एवं उसके समकक्ष वेतनमान वाले अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार बड़ी शास्ती के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा, जिसमें सेवा समाप्ति / बर्खास्तगी भी सम्मिलित है।

(xxi) सहायक लेखाधिकारी एवं उसके समकक्ष वेतनमान वाले अधिकारियों तथा उच्च श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध वृहत् शास्ती (Major-Penalty) हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा, जांच करवा सकेगा एवं सेवा समाप्ति के अलावा वृहत शास्ती (Major Penalty) के तहत दंड से दंडित कर सकेगा। सेवा समाप्ति के लिये प्रबंध संचालक, संचालक मण्डल को प्रस्ताव प्रस्तुत कर संचालक मण्डल के निर्णयानुसार ही कार्यवाही करेगा।

(xxii) संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा में ग्राहकों / क्रेताओं को उधार देना।

(xxiii) संघ के लिये आवश्यक आयात / निर्यात व्यापार करना।

(xxiv) संघ की ओर से प्रशासन और अन्य राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों / एजेन्सी से अनुबंध एवं समझौते करना।

(xxv) वस्तुओं के भंडारण, परिवहन, भेजने, उनके किराये तथा पुराने माल को निकालने हेतु डिक्री की व्यवस्था करना।

(xxvi) संघ की सम्पत्ति का समस्त प्रकार की जोखिम के विरुद्ध बीमे की व्यवस्था करना।

(xxvii) संघ के कार्य संचालन हेतु क्रय, विक्रय, भूमि या भवन लीज पर लेने संबंधी समझौते या अनुबंध करना। संघ की ओर से समस्त अभिलेखों को निष्पादित करना।

(xxviii) प्रबंध संचालक जब कभी संचालक मण्डल द्वारा बनायी गई सब कमेटी के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय से सहमत नहीं होगा तो यह ऐसे मामलों में अपनी विपरीत टिप्पणी दे सकेगा। उन मामलों में संचालक मण्डल की सहमति के बाद ही कार्यवाही की जावे।

- **उत्पादन की बिक्री :**

48.

(i) संघ के सदस्यों के उत्पादन की बिक्री की समुचित व्यवस्था संचालक मण्डल करेगा। संचालक मण्डल बिक्री की व्यवस्था करते समय संबंधित सदस्यों के लिये केवल आड़तियों (Commission Agent) के बतौर कार्य करेगा तथा इस संबंध में संबंधित सदस्य से लिखित अधिकार लेगा। इस प्रकार के किसी कार्य (Transaction) में यदि कोई नुकसान होगा, तो गोदाम भाड़ा, बीमा शुल्क तथा अन्य व्यय आदि जो समय–समय पर निर्धारित की जाये, वसूल कर सकता है।

(ii) संघ को यह अधिकार होगा कि वह संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा तक का माल उसके द्वारा हाथ में लिये गये ठेका एवं मार्गों का पूरा करने के लिये अथवा संघ की व्यापार वृद्धि हेतु खरीद सकेगा।

(iii) उत्पादन की बिक्री की उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये संचालक मण्डल स्थानीय हालातों को ध्यान में रखते हुये माल की बिक्री के

नियम बनायेगा और उन नियमों के अन्दर माल का क्रय–विक्रय किया जावेगा।

- **हिसाब के रजिस्टर आदि :**

49. संघ में नीचे लिखे रजिस्टर व हिसाब की किताब रखी जावेगी :–

(i) सदस्यों का रजिस्टर

(ii) हिस्सों का रजिस्टर

(iii) हिस्सों के हस्तान्तरण का रजिस्टर

(iv) रोकड़ बही

(v) नकल बही

(vi) साधारण सभा

(vii) सदस्यों का खाता जमानत लेन–देन आदि के रजिस्टर

(viii) सेक्शनल खाते

(ix) स्टॉक रजिस्टर

(x) बिक्री रजिस्टर आदि

- **ऋण :**

50. किसी भी सदस्य को, उसके द्वारा संघ के अधिकार में दी हुई कृषि उपज के बाजार भाव से आंकी हुई कीमत की अधिक से अधिक 75 प्रतिशत तक रकम, कृषि उपज की जमानत पर उधार दी जा सकेगी। इस रकम पर ब्याज दर, समय–समय पर संचालक मण्डल द्वारा निश्चित की जावेगी। उधार दी हुई रकम वसूली 6 माह के अन्दर–अन्दर मय ब्याज के होगी। यदि उधार दी हुई रकम 6 माह के अन्दर जमा नहीं की गई तो संघ को अधिकार होगा कि वह सम्पति स्वामी की स्वीकृति के बिना, माल को बाजार भाव से बेचकर अपनी रकम, मय ब्याज के, वसूल कर लें। यदि संघ किसी समय अनुभव करे कि इस तरह संघ की सुरक्षा में रखी हुई वस्तु का मूल्य किसी समय ऋण की रकम से कम होने की संभावना है, तो संघ को अधिकार होगा कि वह अपनी रकम मय ब्याज के तत्काल मांग कर लें और ऐसी मांग पर यदि रकम जमा न हो, तो उस वस्तु को बेचकर अपनी रकम वसूल कर लें और इस पर

भी रकम बाकी रह जावे, तो उसको भी सदस्य की अन्य सम्पति से कानूनी कार्यवाही के द्वारा वसूल कर लें।

51. अमानतदारों को चाहे वह समिति के सदस्य हों या न हो, उनकी अमानत की जमानता पर अमानत के 75 प्रतिशत तक संघ से रकम कर्ज के रूप में दी जा सकेगी।

- **लाभ वितरण :**

52. संघ के कारोबार का वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। वर्ष समाप्त होने पर शुद्ध लाभ का कम से कम 1/4 भाग सुरक्षित कोष में, एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि में तथा 20 प्रतिशत मूल्य घटत–बढ़त कोष में रखा जावेगा। शेष लाभ का वितरण रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की स्वीकृति से निम्न प्रकार किया जावेगा :–

(i) अधिक से अधिक 10 प्रतिशत हिस्सों पर लाभांश दिया जावेगा जो पूरे वर्ष समिति में रहे हो।

(ii) 6 माह या इससे अधिक और एक वर्ष से कम अवधि वाले हिस्सों पर केवल 06 माह का लाभांश दिया जावेगा।

नोट :– यदि देय लाभांश किसी सदस्य द्वारा घोषित होने की तारीख से 6 वर्ष के अन्दर–अन्दर नहीं लिया गया तो उसे पाने का अधिकारी नहीं रहेगा और ऐसी जब्त की हुई रकम सुरक्षित कोष में डाल दी जावेगी।

(iii) राज्य सरकार के हिस्सों के हिस्सों की अदायगी सरकार या रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के निर्देशन के अनुसार होगी।

(iv) उपरोक्त मदों से बचे हुये लाभ का वितरण निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :–

(क) संदिग्ध एवं डूबत खाते कोष से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत

(ख) घटत बढत कोष में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत

(ग) भवन कोष (बिल्डिंग फंड) अधिक से अधिक 25 प्रतिशत

(घ) देय लाभांश एकीकरण कोष में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत

(ड) राज्य सहकारिता नवीनीकरण कोष में 3 प्रतिशत तथा सहकारिता सुदृढ़ीकरण कोष में 2 प्रतिशत।

(च) वैतनिक कर्मचारियों को बोनस कानून के अनुसार दिये जाने हेतु।

(छ) शेष लाभ यदि कुछ बचे तो सुरक्षित कोष में डाल दिया जावेगा या अगले वर्ष के लाभ में ले लिया जावेगा।

(ज) सदस्य समितियों द्वारा संघ के माध्यम से क्रय–विक्रय की हुई वस्तुओं के आधार पर बोनस देय होगा परन्तु यह राशि समिति द्वारा वर्ष में संघ के माध्यम से क्रय–विक्रय किये गये माल की कीमत के 6¼ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- **अन्य बातें :**

53. समस्त रजिस्ट्री किये हुये पत्रादि पर, जिससे संघ पर भार पड़ता हो या दायित्व आता हो, अध्यक्ष और प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक और संचालक मण्डल के दो सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और इस पर संघ की सामान्य मुद्रा अंकित की जावेगी।

54. सहकारिता अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये हुये नियमों के अनुसार इन उप नियमों में संशोधन, परितर्वन या परिवर्द्धन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी संशोधन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा पंजीकृत होने के बाद ही प्रभावी होगा।

55. समस्त विवाद, जो सदस्यों में तथा कार्य समिति आदि में संघ के उपनियमों तथा उनके कारोबार के संबंध में होंगे, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान के आदेशानुसार सहकारी अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत निपटाये जावेंगे।

56. यदि किसी समय उपनियमों की रचना और व्याख्या के विषय में किसी को भी संशय हो, तो प्रकरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय प्रस्तुत विषय पर सबको मान्य होगा।

57. संघ सहकारी अधिनियम के अनुसार केवल रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान की आज्ञा से अवसायन में लाया जा सकेगा।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,